DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--DATED--------------------

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
THURSDAY, AUGUST 25, 2022

SC: Satellite survey best way to check illegal construction

AmitAnand.Choudhary
@timesgroup.com

New Delhi: The Supreme Court said on Wednesday that it would appoint a committee of two retired judges to examine each application which has been filed or will be filed in future on desealing in Delhi and the apex court would work as a court of appeal against orders passed by the panel.

The bench said it would appoint judges who are familiar with Delhi laws. Justice Kaul said that he knew retired judges who are very capable but would pass a formal order after getting their consent. He said the panel would be given wide powers to take a call on desealing of premises and also regularise them if they are in compliance with the existing norms. Observing that more than one-fourth of Delhi would be demolished if all constructions done illegally are razed, the court had on the last hearing said such constructions could be regularised if they are now in conformity with the present norms and those premises could be desealed after slapping a penalty on their owners.

This will be the fourth committee set up on the issue of illegal construction, encroachment and shifting of factories out of Delhi. The first committee consisted of government officers who were to ensure shutting down of polluting industrial units in the city. In March 2006, the apex court had ordered sealing of all unauthorised constructions in the city and appointed a committee which was asked to conduct and monitor the sealing drive. The committee comprised former Election Commission adviser K J Rao, then Environment Pollution (Prevention & Control) Authority chairman Bhure Lal and Maj Gen Som Jhingan. The court had also directed sealing of residential premises which were used for commercial purposes. Thereafter, the Centre formed a 13-member special task force, headed by the DDA vice-chairman, to identify encroachment of government land and take effective steps to reclaim it.

The sealing drive, which was initiated in 2006, resulted in thousands of premises being sealed over the years. Pulling up the civic bodies and DDA for not doing their job, the bench said the large number of illegal constructions was because of their inaction and also questioned the Centre for extending the date of regularisation of illegal constructions, saying it was creating lot of problems. "We have to do this because you have not been doing this and everything is thrown in the lap of the court," SC said.

It also asked the Centre and DDA to brief the court on when Master Plan 2041 would be notified and said, "We would have the pleasure of secretary of urban & housing development and DDA vice-chairman's presence in court" if no timeframe is spelt out for the new plan on the next date of hearing. The court said that a satellite survey of the city is the best way to check illegal construction and encroachment of public land and quizzed the Delhi government on why it was not being done.

Hindustan Times

WHEN WILL CITY'S 2041 MASTER PLAN BE COMPLETE? SC ASKS CENTRE, DDA

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday gave three weeks to the Centre and the Delhi Development Authority (DDA) to indicate a time frame to finalise the Master Plan for Delhi (MPD) 2041, and said that the delay is giving legal cover from any punitive action to unauthorised constructions. "Unwillingness to adhere to law is a problem in Delhi and you (Centre) do not stop such constructions. In a blanket way, you protect unauthorised constructions. That is why we are in such a mess as you neither bring the MPD nor allow action against unauthorised construction," a bench of justices Sanjay Kishan Kaul and MM Sundresh said.

ASG Aishwarya Bhat, appearing for Centre, said she required time to take instructions. For DDA, senior advocate Garima Parshad said, "It is in the advanced stage. No time frame can be stated as there are some issues related to unauthorised colonies." HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दिल्ली/एनसीआर जागरण

2 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

विवादों में घिरी वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर व यूनिवर्सिटी की जमीन

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

- जौनापुर में वन क्षेत्र की भूमि केंद्र सरकार की अनुमति के बगैर पंचायत निदेशक ने कर दी शिक्षण संस्थान के लिए हस्तांतरित
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कराया अवगत, रिकार्ड में सुधार के दिए निर्देश

नई आबकारी नीति 2021-22 के बाद अब जौनापुर गांव में प्रस्तावित दिल्ली सरकार की वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर और यूनिवर्सिटी की जमीन भी विवादों में घिर गई है। वनक्षेत्र की इस जमीन को पंचायत निदेशक ने भू-उपयोग में बदलाव कराए बगैर ही प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आवंटित कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के पास पहुंचा तो गड़बड़ियां सामने आईं। कमेटी ने अब मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस संदर्भ में सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पर केंद्र सरकार की अनुमति भी अनिवार्य बताई है।

> यह बिल्कुल सही है कि जौनापुर गांव में वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर एवं यूनिवर्सिटी के लिए दी गई जमीन वनक्षेत्र की है। नियमानुसार वनक्षेत्र की जमीन गैरवानिकी कार्य के लिए देने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है। अलबत्ता, डीडीए के रिकार्ड में यह जमीन रिहायशी कैसे है और इसका नियंत्रण पंचायत निदेशक के पास किस तरह से है, यह चेक करना पड़ेगा। -सीडी सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार दक्षिणी दिल्ली के जौनापुर गांव में 37.11 एकड़ जमीन पर वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर और यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। वन विभाग के रिकार्ड में यह जमीन वनक्षेत्र, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के रिकार्ड में रिहायशी क्षेत्र की है। इसके बावजूद पंचायत निदेशक ने इस जमीन को गैरवानिकी कार्य के लिए सरकार के प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आवंटित कर दिया।

स्वीकृति के लिए यह मामला रिज प्रबंधन बोर्ड (आरएमबी) के पास आया तो आरएमबी ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) को भेज दिया। सीईसी ने इस मामले में पिछले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में न डीडीए, न ही पंचायत और राजस्व विभाग से कोई अधिकारी शामिल हुआ। बैठक में इस पर भी नाराजगी जताई गई कि कई रिमाइंडर भेजने के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस भूमि की श्रेणी को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं किया है।

बैठक में वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक की ओर से बताया गया कि जौनापुर की यह जमीन भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-चार के तहत वर्ष 1996 में जारी अधिसूचना का हिस्सा, यानी वनक्षेत्र है। इस पर सीईसी ने हैरानी भी जताई कि तब यह जमीन अभी भी पंचायत निदेशक के नियंत्रण में कैसे हो सकती है? यही नहीं, वनक्षेत्र डीडीए के रिकार्ड में रिहायशी कैसे दर्ज है? इसके अलावा बैठक में वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया गया है कि इस जमीन को हर रिकार्ड में वनक्षेत्र ही किया जाए। सीईसी के सदस्य सचिव अमरनाथ शेट्टी ने दो दिन पूर्व मुख्य सचिव को भी पत्र लिखकर इस संदर्भ में रिकार्ड दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वनक्षेत्र की कोई भी जमीन वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत केंद्र सरकार से अनुमति लिए बगैर गैरवानिकी कार्य के लिए आवंटित नहीं की जा सकती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सीईसी की टीम जल्द ही इस जमीन का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण की तारीख सभी संबंधित विभागों को समय से बता दी जाएगी।

www.jagran.com

कोरोना काल में बंद हुई डीडीए की जनसुनवाई फिर शुरू

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कोरोना काल के दौरान बंद हुई जनसुनवाई फिर से शुरू कर दी है। लेकिन, अब इसमें शामिल होने के लिए पहले से आनलाइन अप्वाइंटमेंट लेनी होगी, तभी संबंधित अधिकारी से मुलाकात संभव हो सकेगी।

डीडीए के अधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। अधिकारियों से मिलने के लिए विशेष स्लाट प्राप्त करने के निमित्त डीडीए मुख्यालय विकास सदन, विकास मीनार और प्राधिकरण के अन्य कार्यालयों में प्रवेश से पहले आनलाइन अप्वाइंटमेंट लेनी होगी। इसके लिए www.dda.gov.in या फिर https://citzservices.dda.org.in पर पंजीकृत करके अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। जन सुनवाई सोमवार और बृहस्पतिवार को होती है।

अधिकारी ने बताया कि इस अप्वाइंटमेंट के जरिये उपनिदेशक और निदेशक रैंक के अधिकारियों से मिलने के लिए समय दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक रखा गया है। जबकि, आयुक्त और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए यह समय दोपहर 2.30 से 3.30 बजे तक सीमित किया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI ------DATED------ THURSDAY, AUGUST 25, 2022

22 yrs & waiting: DU college asks DDA to hand over seven-acre plot

Shradha.Chettri
@timesgroup.com

New Delhi: Members of Aurobindo College's governing body have written to Delhi Development Authority (DDA), asking it to give possession of a 7-acre plot in Lado Sarai village they claimed was allotted to the institute nearly 22 years ago but was never handed over. The college had paid Rs 55 lakh to DDA to build a boundary wall, but the land is now encroached upon, the members said.

There was no response from DDA officials when **TOI** reached them for a response.

"It has been a long time since the land was allotted. The place is encroached upon too, so we want DDA to take immediate action. The college is in urgent need of the land," said governing body treasurer Ghanshyam Kaushik.

The institute is funded by Delhi government. There are 3,700 students enrolled in the morning college and 2,000 in the evening college.

On May 5, chairman Devendra Tomar and other college staff visited the land along with DDA officials. Located in Phirni area of Lado Sarai, the land was given to the college in March 2000. It is divided into two parts — one of 4.8 acres and the other 2.2 acres. The bigger area has been encroached upon.

"We got an assurance that possession would be given soon to the college and a boundary wall would be constructed. We are yet to see any progress," said Kaushik.

During the inspection, DDA had said it would write to the engineering department to take necessary action on the encroachment. It also planned to construct a road between the two plots.

The matter was taken up in Delhi high court, which in 2009 ruled in favour of the college and asked DDA to continue the process of constructing the boundary wall.

"If we get possession of the land, we can build new blocks and provide other facilities to students. Our existing resources are already stretched. There has been some resistance from the village which has resulted in the delay," said college principal Vipin Agarwal.

College authorities said due to paucity of land, sports, academic and other activities are also suffering.

A MESS: The college had paid Rs 55 lakh to DDA to build a boundary wall, but the land is now encroached upon, the members said

Public hearing at DDA offices, book slot online

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Public hearing will be now held at almost all offices of Delhi Development Authority (DDA), and not just its headquarters, Vikas Sadan, and Vikas Minar. A DDA spokesperson said on Wednesday that to facilitate public hearing in a seamless manner, visitors could obtain prior online appointments and get exclusive slots to meet officials.

The public hearing days at DDA are Mondays and Thursdays and the timings are from 2.30pm to 4.30pm for meeting officers of the rank of deputy directors and directors, while 2.30pm to 3.30pm for officers of the rank of commissioners and above, he said. Online appointments can be booked at https://citzservices.dda.org.in/ and it is available in Citizen Centric Services under Online Public Services tab of DDA's website, www.dda.gov.in. "People visiting DDA offices will have to adhere to Covid-19 protocols," the spokesperson said.

THE INDIAN EXPRESS, THURSDAY, AUGUST 25, 2022

FOLLOWING CULTURE MINISTRY'S NOTIFICATION

Anang Tal lake declared monument of national importance

DIVYA A
NEW DELHI, AUGUST 24

THE ANANG Tal lake in South Delhi, believed to have been built a thousand years ago, has been declared a monument of national importance through a gazette notification by the Ministry of Culture earlier this week.

The notification, issued on August 22, stated: "The central government is of the opinion that the ancient mound including Anang Tal, Tehsil Mehrauli, district South Delhi, National Capital Territory Delhi... is an ancient site and remains of national importance; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the central government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient site and remains to be of national importance..."

The notification also invites objections or suggestions over the next two months. "Any objection or suggestions, to the declaration of the said archaeological site and remains to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification, by any interested person in the said ancient site and remains; to the director general, ASI... The objections or suggestions... with respect to said draft notification within the period specified shall be taken into consideration by the central government," it said.

Reacting to the development, former National Monuments Authority chairman Tarun Vijay, who had submitted the proposal in 2019 to the Ministry of Culture for declaration of the site as a monument of national importance, said, "The national monument stature for Anang Tal is like the re-coronation of Anang Pal Singh Tomar in Delhi."

Recently, Delhi Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena had visited the Anang Tal Baoli inside Sanjay Van, and directed officials to restore the heritage stepwell within the next two months.

Union Minister of State for Culture and Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal, who visited the site in May, had asked the Delhi Development Authority, under whose jurisdiction the area falls, to restore the historic lake in Mehrauli. The minister asked officials to expedite conservation work so the site could be declared a national monument.

As per the website of National Mission on Monuments and Antiquities, a government agency, Anang Tal is situated "to the north of Jog Maya temple and approximately 500 metres to the northwest of Qutub Complex", and dates back to 1,060 AD. "Tradition ascribes this tank to a Tomar King, Anangpal II, the builder of Lal Kot. It is said to have been a place of a general resort but now it is dried up and used for cultivation...," said the NMMA website.

As per the website of National Mission on Monuments and Antiquities Anang Tal dates back to 1,060 AD

New Delhi

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 25 अगस्त 2022 ---DATED---

22 साल से अरबिंदो कॉलेज को अपनी जमीन मिलने का इंतजार

साल 2000 में मिली थी जमीन, तब से है कब्जा और अवैध रोड

Katyayani.Upreti@timesgroup.com

बाउंड्री के लिए डीडीए को रुपये देने के बाद भी न अतिक्रमण हटा न दीवार बनी

■ **नई दिल्ली :** दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री अरबिंदो कॉलेज को पिछले 22 साल से अपनी उस जमीन का इंतजार है, जो उसे डीडीए ने 2000 में अलॉट हुई थी। मालवीय नगर स्थित श्री अरबिंदो कॉलेज को करीब 7 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी। कॉलेज के अधिकारियों का कहना है कि जब जमीन अलॉट हुई तब से ही इस पर अवैध कब्जा है। डीडीए को बाउंड्री वॉल के लिए 54 लाख दिए मगर काम शुरू तक नहीं हुआ।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ विपिन अग्रवाल बताते हैं, सबसे पहले कॉलेज को जेएनयू के पास जमीन मिली थी मगर रिज एरिया होने की वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए मनाही हो गई। कॉलेज हाई कोर्ट गया और 2000 में डीडीए ने लाडो सराय में दो हिस्सों में जमीन अलॉट की। दोनों के बीच आधा किलोमीटर से कम की दूरी है। 4.5 एकड़ से ज्यादा जमीन में पहले से अवैध कब्जा था, यहां लाडो सराय गांव जाने के लिए अवैध सड़क भी है। दूसरा हिस्सा 2.5 एकड़ के आसपास है।

डीडीए को बाउंड्री वॉल के लिए दिए थे 54 लाख : डॉ अग्रवाल बताते हैं, इसे लेकर मैं कई पत्र डीडीए को लिख चुका हूं, सभी चेयरपर्सन से मिल चुका हूं। डीडीए ने बाउंड्री वॉल के लिए पैसे मांगे थे, जिस पर 2012 में हमने 54 लाख रुपये दिए मगर ना ही अतिक्रमण हटा, ना वॉल बनी। हालांकि, अब डीडीए से बताया है कि बाउंड्री वॉल के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कॉलेज की यह जमीन इसके कैंपस (2.9 एकड़) से तीन किमी की दूरी पर है। श्री अरबिंदो कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन देवेंद्र तोमर बताते हैं, कॉलेज इस साल अपनी 50वीं सालगिरह मना रहा है मगर आज तक स्कूल की बिल्डिंग से चल रहा है। मॉर्निंग और ईवनिंग दोनों को मिलाकर 6 हजार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी छोटा है। 5 मई को जमीन का निरीक्षण भी किया गया। डीडीए ने कहा है कि चारदीवारी बनाकर, अवैध रोड बंद कर जमीन कॉलेज को दे दी जाएगी। गांववालों के लिए दोनों प्लॉट से 3 मीटर और 9 मीटर की रोड बनाने की भी बात की है। गवर्निंग बॉडी के ट्रेजरार घनश्याम कौशिक कहते हैं, जमीन के बीचोंबीच गांव की ओर जाने के लिए सड़क है, बसें, कारें भी खड़ी की जाती हैं, छोटा बाजार लगता है मगर कब्जा नहीं हटाया जा सका। हाई कोर्ट ने डीडीए से चार हफ्ते में बाउंड्री वॉल बनाकर जमीन को सौंपने को कहा था मगर काम ठंडे बस्ते में चला गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हम बड़े प्लॉट में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, प्लेग्राउंड और दूसरे प्लॉट में गर्ल्स हॉस्टल बनाना चाहते हैं। जैसे ही जमीन मिलती है, हम यूजीसी से फंडिंग के लिए कोशिशें तेज करेंगे।

> 50वीं सालगिरह मना रहा कॉलेज आज भी एक स्कूल की इमारत में चल रहा है

साड्डी दिल्ली

बिक जाएगा लैंडमार्क

विवेक शुक्ला

इंदर शर्मा एक बड़ी ट्रैवल कंपनी के मालिक थे। उन्होंने इसी शहर में बहुत छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू किया था। एक दिन अपने पुत्र अर्जुन और पुत्री नीरज घई के साथ वह अपनी सीता वर्ल्ड ट्रेवल को फैलाने पर बात कर रहे थे। बातचीत में इंदर शर्मा की आई सर्जन पत्नी डॉ. अरुणा शर्मा भी शामिल हो गईं। उसी दौरान इंदर शर्मा के पास दोस्त का फोन आया। उसने कहा, 'डीडीए साकेत में एक मॉल के लिए प्लॉट नीलाम कर रहा है। आप क्यों नहीं नीलामी में हिस्सा लेते?' जब इंदर शर्मा ने यह बात पत्नी और बच्चों को बताई, तो सबकी राय बनी कि रीयल इस्टेट के फील्ड में आकर देखा जाए। यह किस्सा है सन 2002 का। इंदर शर्मा ने नीलामी में भाग लिया और प्लॉट पर कब्जा कर लिया।

2 दिसंबर 2003 को सेलेक्ट सिटी वॉक में भूमि पूजन से पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट योगराज अरोड़ा को अपनी कोर टीम से जोड़ा। कहते हैं कि प्लॉट की लोकेशन को लेकर इंदर शर्मा के कुछ करीबी दबी-जुबान से कह रहे थे कि प्लॉट के पीछे ही कदीमी कब्रिस्तान है। पर इंदर शर्मा ने इसे नजरअंदाज कर सेलेक्ट सिटी वॉक का निर्माण शुरू करा दिया। चार सालों में सेलेक्ट सिटी वॉक बन गई। दिल्ली के तब के उप राज्यपाल तेजेंद्र खन्ना ने इसका 12 अक्टूबर 2007 को उद्घाटन किया। देखते ही देखते सेलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली का सबसे पसंदीदा शॉपिंग प्लेस बन गया। हजारों लोगों को रोजगार भी मिला। आप दिल्ली के नौजवानों से पूछिए कि वे तफरीह के लिए कहां जाना पसंद करते हैं? यकीन मानिए कि दस में से आठ कहेंगे- सेलेक्ट सिटी वॉक।

आजकल इसके बिकने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मालिकान अब खरीदार तलाश रहे हैं। देर-सबेर सेलेक्ट सिटी वॉक को नया मालिक मिल भी जाएगा। पर सेलेक्ट सिटी वॉक ने अपने छोटे से सफर में अपने लिए एक खास मुकाम बना लिया है। दिल्ली के किसी भी स्मारक, बाजार, धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल से कहीं ज्यादा लोग सेलेक्ट सिटी वॉक पहुंचते हैं। दिवाली, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, न्यू ईयर वगैरह पर सेलेक्ट सिटी वॉक का नजारा देखने लायक होता है। रीयल एस्टेट एक्सपर्ट देवेंद्र गुप्ता कहते हैं कि सेलेक्ट सिटी वॉक कॉन्क्रीट और शीशे से बने किसी मॉल से हटकर है। सिंगापुर की डीपी आर्किटेक्ट्स फर्म ने इसके डिजाइन में पर्याप्त बालकनी और स्तंभ देकर इसे बेहद खूबसूरत बना दिया है। यहां दिव्यांग भी आने से घबराते नहीं हैं। क्या हमारे यहां दिव्यांगों के मन-माफिक इमारतों का निर्माण हो रहा है? कतई नहीं। लेकिन यहां पर दिव्यांगों को वीलचेयर उपलब्ध रहती है। वॉशरूम इतनी ही ऊंचाई पर है कि दिव्यांग भी उनका इस्तेमाल कर लें। खैर, छह एकड़ में फैले सेलेक्ट सिटी वॉक का स्वामित्व किसी के पास भी रहे, दिल्ली का लैंड मार्क तो यह बन ही गया है।

जन सुनवाई के लिए अब लेने होंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

■ **विस, नई दिल्ली :** डीडीए ने जन सुनवाई को आसान बनाने के लिए अब आम लोगों के लिए पूर्व ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, आम लोग अपने मामलों की स्थिति का पता लगाने के संबंध में डीडीए अधिकारियों से मिलने के लिए विशेष स्लॉट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के जरिए प्राप्त कर सकती है। इन स्लॉट के जरिए डीडीए मुख्यालय विकास सदन, विकास मीनार और प्राधिकरण के अन्य कार्यालयों में लोगों को एंट्री मिलेगी।

डीडीए में जनसुनवाई सोमवार और गुरुवार को होती है। डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, उप निदेशक और निदेशक स्तर के अधिकारियों से मिलने के लिए दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक का समय है। आयुक्त और इससे उपर की रैंक के अधिकारियों से दोपहर 2.30 से 3.30 बजे का समय निर्धारित है। अपॉइंटमेंट बुक करने का यूआरएल https://citzservices.dda.org.in/है और यह वेबसाइट www.dda.gov.in के ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज टैब के अंतर्गत सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में उपलब्ध है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
THURSDAY, 25 AUGUST, 2022 | NEW DELHI

Omaxe bags sports complex cum retail project from DDA at Dwarka in Delhi, to invest ₹2,100 cr

PTI NEW DELHI

Realty firm Omaxe has bagged a project from DDA to develop a sports complex and retail project at Dwarka in the national capital at a cost of ₹2,100 crore.

The company has secured this 50-acre project from the Delhi Development Authority (DDA) under the "Design Build Finance and Operate" model. It will build both outdoor and indoor sports facilities. A large cricket-cum-football stadium is also being planned, besides a retail area.

The total investment is estimated at about ₹2,100 crore, of which ₹1,300 -1,400 crore will be on sports complex and the rest on retail area.

Omaxe Ltd Chairman Rohtas Goel said: "We have bagged a project from DDA, located in Dwarka, New Delhi."

It will be the first sports facility to be developed by the DDA in PPP (Public Private Partnership) model.

"We will develop a world-class cricket stadium and sports complex in this project.

It will be a marquee project facilitating the sports infrastructure at par with global standards," Goel said.

The retail portion would offer spaces for shopping, dining, and sports-related activities. "This project will be a big boost to the infrastructure upgradation in the National Capital and is likely to create a huge economic multiplier effect," Goel said.

the pioneer
NEW DELHI | THURSDAY | AUGUST 25, 2022

'BOOK PRIOR APPOINTMENT TO MEET OFFICIALS ON PUBLIC HEARING DAYS'

NEW DELHI: Now Delhiites can online prior book their exclusive slots to meet DDA officials during public hearing days through the Authority's web site where a dedicated url has been provided, an official statement said. It added that the public hearing days in DDA are Monday and Thursday. The timings are 2.30 pm to 4.30 pm for officers of the rank of deputy directors and directors, while it is 2.30 pm to 3.30 pm for officers of the rank of commissioners and above. "In order to facilitate public hearing in DDA in a seamless manner, general public may obtain prior online appointment to enter DDA's head office Vikas Sadan, Vikas Minar and other offices of the Authority to get exclusive slot to meet officers to ascertain status of their matter. "The url for booking online appointment with DDA officers is https://citzservices.dda.org.in/ and it is available in citizen centric services under online public services tab of DDA's web site www.dda.gov.in," the statement said on Wednesday.

.rashtriyasahara.com

डीडीए ने शुरू की ऑन लाइन जन सुनवाई की प्रक्रिया

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने जरूरतमंद लोगों के लिए जन सुनवाई की ऑफ लाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अधिकारी से मिलने के लिए ऑन लाइन पूर्व अनुमति लेनी होगी और मुख्यालय विकास सदन में प्रवेश के दौरान कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना होगा। डीडीए में जन सुनवाई सप्ताह में दो दिन, सोमवार एवं गुरुवार को होती है। कोई भी डीडीए की वेबसाइट पर जाकर https://citzservices.dda.org.in पर अधिकारी से मिलने की ऑन लाइन अनुमति ले सकता है।

अधिकारी से मिलने की ऑन लाइन अनुमति लेनी होगी

डीडीए के मुताविक निदेशक एवं उप-निदेशक स्तर के अधिकारी से मिलने का समय दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक है, जबकि आयुक्त एवं उससे ऊपर के पदाधिकारी से मिलने का समय दोपहर बाद 2.30 से 3.30 बजे तक है। डीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को आम जनता से मिलने के लिए वेबसाइट पर स्लॉट बनाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी से मिलने से पहले यानी मुख्यालय में प्रवेश के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग होगी और मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सहारा

चंदन के एक हजार पौधों की 24 घंटे की जाएगी निगरानी

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से चंदन के पौधे लाकर लुटियंस जोन में लगाने की एनडीएमसी ने शुरू की महत्वाकांक्षी योजना

नई दिल्ली (भाषा)। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से लाये जाने के बाद लुटियंस दिल्ली में चंदन के 1,000 पौधे लगाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू हो गई है। इसके तहत, प्रथम चरण में लगाये जाने वाले पौधों को किसी तरह का नुकसान या चोरी होने से बचाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। योजना के मुताबिक, चंदन के पौधों को लगाए जाने के बाद 'सिक्योरिटी गार्ड' 24 घंटे इनकी सुरक्षा करेंगे। लोधी गार्डन, बुद्ध पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे पार्क एवं उद्यानों में पहले से चंदन के पेड़ हैं लेकिन यह पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर चंदन के पौधे लगाये जा रहे हैं। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के सदस्य कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली आवासीय सोसायटी के पार्क, उद्यानों जैसे स्थानों पर लाल और सफेद चंदन के एक हजार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चंदन के पौधों की पहली खेप राष्ट्रीय राजधानी पहुंच चुकी है और उन्हें पौधारोपण की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि इन पौधों को सड़क किनारे नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे चंदन के पौधे लगाए जाते हैं, तो उनकी चोरी हो सकती है या उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड का इस्तेमाल पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के दक्षिण क्षेत्र में 600 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें लोधी गार्डन, सरोजिनी नगर, चाणक्य पुरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जबकि उत्तरी क्षेत्र में राजपथ, संसद मार्ग, कनाट प्लेस, मदर टेरेसा क्रीसेंट और गोल मार्केट जैसे स्थान शामिल हैं। नगर निकाय अधिकारियों के मुताबिक चंदन के एक पौधे की कीमत करीब 275 रुपए है और इनकी ऊंचाई तीन से चार फुट के बीच है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जुलाई में एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को मौजूदा मॉनसून के मौसम में शहर भर में चंदन के 10,000 पौधे लगाने का निर्देश दिया था। इस बीच, पर्यावरण विशेषज्ञ प्रदीप कृष्ण ने योजना की सफलता पर सवाल उठाए हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- पंजाब केसरी DELHI -----------DATED- 25|08|2022

गौतम कनेक्ट कार्यक्रम का किया गया था आयोजन, रसूख दिखा सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल का भी आरोप

बारात घर बुकिंग को लेकर गंभीर नहीं हुए गौतम

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): एकला चलो नीति से चलने वाले पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत डीडीए के सारे नियम ताक पर रख दिए। सूत्रों का कहना है कि जिस सामुदायिक भवन बुकिंग के लिए लोग डीडीए की चौखट पर ठोकरें खाते हैं, उस सामुदायिक भवन की गौतम गंभीर ने गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत बुकिंग ही नहीं कराई गई। यहां डीडीए पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सामुदायिक भवन जहां लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता, वह सामुदायिक भवन गौतम को कार्यक्रम के तहत कैसे दे दिया गया। सांसद गंभीर पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना रसूख दिखा सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया।

बता दें कि 20 अगस्त को सांसद गौतम गंभीर त्रिलोकपुरी विधानसभा के त्रिलोकपुरी वेस्ट वार्ड में आपके सांसद आपके द्वार के गौतम कनेक्ट कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता के बीच मुखातिब हुए थे। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, सीवर, पार्क, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक जाम की सस्याओ को उनके समक्ष रखा था। यह कार्यक्रम जिला मयूर विहार कार्यालय मंत्री सुनील चौधरी द्वारा चिल्ला गांव के डीडीए सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया था। सूत्रों का कहना है कि जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस सामुदायिक भवन की बुकिंग डीडीए से आसानी से नहीं मिलती है। लोगों को इसकी बुकिंग के लिए कई दिनों तक डीडीए कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं।

फिर भी काफी लोगों को इसकी बुकिंग नहीं मिल पाती है। बल्कि लोगों को पार्क में अपनी शादियां करने पर मजबूर होना पड़ता है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि जब इस सामुदायिक भवन की बुकिंग को लेकर आम लोग डीडीए की चौखट पर ठोकरें खाने पर मजबूर रहते हैं तो ऐसे में गौतम गंभीर के कार्यक्रम के लिए इस सामुदायिक भवन का उपलब्ध होना लोगों के साथ एक धोखा है। डीडीए ने बिना बुकिंग के उन्हें यह सामुदायिक भवन कार्यक्रम के लिए कैसे अलॉट कर दिया।

चिल्ला गांव स्थित डीडीए का सामुदायिक भवन।

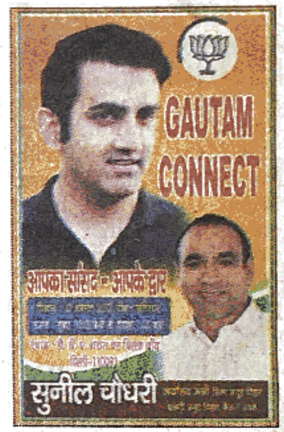

कार्यक्रम का पोस्टर।

सांसद गौतम गंभीर ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर सरकारी संपत्ति का मिस यूज किया है। डीडीए जब सांसद के कार्यक्रम को 40-50 हजार रुपए में दिए जाने वाला सामुदायिक भवन फ्री में दे सकता है तो फिर उसे गरीब लोगों की बेटियों की शादियों के इस्तेमाल के लिए भी इस सामुदायिक भवन को फ्री करना चाहिए। उनकी सांसद से भी यहीं मांग है। नहीं तो सांसद द्वारा सरकारी संपत्ति का रसूख दिखाकर इस्तेमाल करना गलत है। —रोहित कुमार महरौलिया, विधायक आम आदमी पार्टी

डीडीए की जनसुनवाई फिर हुई शुरू

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): कोविड काल के दौरान बंद हुई जनसुनवाई को डीडीए ने फिर से शुरु कर दिया। लेकिन अब इसमें शामिल होने के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तभी संबंधित अधिकारी के साथ मुलाकात संभव हो सकेगी। इस बारे में डीडीए के अधिकारी ने कहा कि जन सुनवाई को सुगम बनाने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरु की गई है। ताकि लोग अपनी शिकायत या अन्य काम के संबंध में सही जानकारी के लिए संबंधित अधिकारी से आसानी से मिल सकें। अधिकारियों से मिलने के लिए विशेष स्लॉट प्राप्त करने के लिए डीडीए मुख्यालय विकास सदन, विकास मीनार और प्राधिकरण के अन्य कार्यालयों में प्रवेश से पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसके लिए ,www.dda.gov.in या फिर https://citzservices .dda.org.in पर पंजीकृत करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। गौरतलब है कि जन सुनवाई सोमवार और गुरुवार को होती है। अधिकारी ने बताया कि इस अपाइंटमेंट के जरिये उप निदेशक और निदेशक रैंक के अधिकारियों से मिलने के लिए समय दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक रखा गया है।